रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99

REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 2003/ज्येष्ठ 17, 1925
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 2003/JYAISTHA 17, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 13 मई, 2003

सा.का.नि. 219.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालयों में (कनिष्ठ आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2000 का अतिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस सम्बन्ध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भाषा प्रभाग तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय (आशुलिपिक ग्रेड-III) भर्ती नियम, 2003 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं :

बशर्ते के सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए जो भी कारण हों उन्हें लेखबद्ध करके किसी भी कार्यालय में जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके लिए वह नियुक्ति

प्राधिकारी है उसकी बाबत, उक्त पदों में हुई किसी रिक्ति को किसी अन्य कार्यालय में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति के आमेलन द्वारा भरने का आदेश दे सकेगा यदि आमेलन किए जाने वाले व्यक्ति ने ऐसे आमेलन के लिए लिखित रूप में आवदेन किया हो :

बशर्ते कि इस प्रकार आमेलन व्यक्ति को उस ग्रेड में उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो उस ग्रेड में पहले से ही नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हों।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	आशुलिपिक ग्रेड-III
2. पदों की संख्या	:	21* (2003) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	4,000-100-6000 रु.
5. क्या चयन या गैर-अचयन पद है	:	लागू नहीं
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	:	लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक) **टिप्पणी :**—आयु-सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में दी गई अंतिम तारीख होगी।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	(1) मैट्रिक अथवा समकक्ष (2) आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) (3) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द अथवा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। **वांछनीय :** कम्प्यूटर में प्रवीणता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	सीधे भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	:	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती/जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (अल्पकालिक रिक्तियां केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी)।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले कर्मचारी, या 3050—4590 रुपये के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारी और कालम (8) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	:	**स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भाषा प्रभाग, कलकत्ता के लिए) :—** 1. उप महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) —अध्यक्ष 2. सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा भाषाविद् या अनुसंधान अधिकारी (भाषा) या सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित —सदस्य **स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सम्बन्धित जनगणना कार्य निदेशालयों के लिए) :** 1. उप निदेशक/सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित —सदस्य
14. भर्ती करते समय में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं।

[फा सं. ए-16011/12/2000-प्रशा. II]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 13th May, 2003

G.S.R. 219.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Junior Stenographer) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade III in the Languages Divisions of the Office of the Registrar General, India as well as all the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid :

Provided that the appointing authority may, if he considers necessary or expedient so to do, and subject to such conditions as it may specify in this behalf and having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any vacancy in the said post in any of the offices to which these rules apply and in relation to which he is

the appointing authority to be filled by the absorption of a person holding the same post in any of the other offices to which these rules apply, provided that the person to be absorbed has made a request in writing for such abosrption :

Provided further that the person so absorbed shall be placed below all persons already appointed on regular basis to the grade to which he is appointed on such absorption.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-Servicemen, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

1.	Name of post	: Stenographer Grade-III.
2.	Number of post	: 21*(2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.
4.	Scale of pay	: Rs. 4000-100-6000.
5.	Whether Selection or non-selection post	: Not applicable.
6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable.
7.	Age limit for direct recruits	: 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt. thereof) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date as advertised by the Staff Selection Commission.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: (1) Matriculation or equivalent. (2) A speed of 80 words per minute in Shorthand (English or Hindi). (3) A type writing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi. **Desirable :** Computer proficiency.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable.
10.	Peirod of probation, if any	: Two years for direct recruits.
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by deputation/absorption. (Short term vacancies shall be filled by deputation only).

12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: **Deputation/Absorption :** Officials of Central Government/State Government holding analogous posts on regular basis or with 8 years regular service in the pay scale of Rs. 3050-4590 and possessing qualifications prescribed for direct recruits in column (8).
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: **Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the Language Division at Calcutta) :** 1. Deputy Registrar General (Language) or Assistant Registrar General (Language)—Chairman 2. Assistant Registrar General (Language) or Linguist or Research Officer (Language) or Assistant Director of Census Operation (Technical)—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office preferably belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes—Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the respective census Directorate of Census Operations in States/ Union Territories) :** 1. Deputy Director/Assistant Director of Census Operations (Technical)—Chairman 2. Assistant Director of Census Operations (T) or Assistant Director of Census Operations—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government office, preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member.
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	: Not applicable.

[F. No. A-16011/12/2000-Ad.II]

J. K. BANTHIA, Registrar General, India

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 220.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, डाटा प्रौसेसिंग सहायक ग्रेड "क" भर्ती नियम 1991, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ज्येष्ठ कार्यक्रमक, कार्यक्रमक (रिप्रोग्राफिक) और आंकड़ा प्रक्रमण सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ज्येष्ठ कार्यक्रमक, कार्यक्रमक (रिप्रोग्राफिक) और आंकड़ा प्रक्रमण सहायक ग्रेड "क" भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी, पत्नी जीवित हो, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	1. ज्येष्ठ कार्यक्रमक
2. पदों की संख्या	:	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	10,000-325-15,200 रु.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	हां
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	40 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पणी 1** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक छूट की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2** :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो विहित की गई है) असम, मेघालय, अरूणालय प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	क (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) या इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रानिक ऑकड़ा प्रक्रमण का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष का वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव हो, या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स ऑकड़ा प्रक्रमण कार्य का सात वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम तीन वर्ष का वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव हो, या

(ग) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री या इसके समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या इसके समतुल्य।

(ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का आठ वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम चार वर्ष का वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव हो, या

घ (i) डी ओ ई ए सी सी कार्यक्रम के अन्तर्गत ''ए'' स्तर डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट-पोलीटेकनिक डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

(ii) इलैट्रानिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का आठ वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम चार वर्ष वास्तविक प्रोग्रामिंग में अनुभव।

टिप्पणी 1 : अर्हताएं अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभयर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। : आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : हां

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : **प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)**

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध-सरकारी/कानूनी या स्वयतशासी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों जो :

(क) (i) मूल काडर/विभाग में समकक्ष पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाचं वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 7500-12000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 7450-11500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की है, तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

2. विभागीय कार्यक्रमक (रिप्रोग्राफिक) जिसने उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की है, बाहर के उम्मीदवारों सहित उस पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :

1. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष

2. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	2. कार्य क्रमक (रिप्रोग्राफिक)
2. पदों की संख्या	:	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	7,450-225-11,500 रु.
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	हां
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :**—(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो विहित की गई है) असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रानिक ऑकडा प्रक्रमण कार्य का वास्तविक प्रोगामिंग सहित दो वर्ष का अनुभव, या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम एक वर्ष का वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव हो, या (ग) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री या इसके समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या इसके समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण का चार वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम दो वर्ष का वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव हो, या घ (i) डी ओ ई ए सी सी कार्यक्रम के अन्तर्गत "ए" स्तर डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट-पोलीटेकनिक डिप्लोमा या इसके समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का चार वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम दो वर्ष का वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में अनुभव हो, या **टिप्पणी 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध-सरकारी/कानूनी या स्वायतशासी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों जो : (क) (i) मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500—10500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500—9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है, तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

2. विभागीय आंकड़ा प्रक्रमण सहायक जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, बाहर के उम्मीदवारों सहित उस पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :

1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष

2. उप निदेशक, (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

3. उप निदेशक, (कम्प्यूटर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. पद का नाम : 3 आँकड़ा प्रक्रमण सहायक (ग्रेड 'क')

2. पदों की संख्या : 1*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. वर्गीकरण : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय

4. वेतनमान : 5500-175-9000 रु.

5. चयन पद हैं अथवा अचयन पद : चयन-सह-ज्येष्ठता

6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : लागू नहीं होता

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पणी 1 :**—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी 2 :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो विहित की गई है)। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	**आवश्यक :** : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी डिग्री /प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य; अथवा । (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स आंकड़ा प्रक्रमण कार्य में दो वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव भी है। (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री या इसके समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी डिग्री या इसके समतुल्य। (ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकडा प्रक्रमण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव भी है। घ (i) डी ओ ई ए सी सी कार्यक्रम के अन्तर्गत "ए" स्तर डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट-पोलीटेकनिक डिप्लोमा या इसके समतुल्य। (ii) इलैट्रानिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग में अनुभव भी है। **टिप्पणी 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12.. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : **प्रोन्नति :**

1. आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ख' जिसकी उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा है।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्त

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों जो :

(क) (i) मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद नियमित आधार पर धारंण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :

1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष

2. उप निदेशक, (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

3. उप निदेशक, (कम्प्यूटर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 13012/1/99-अकादमी डेस्क]

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th February, 2003

G.S.R. 220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Data Processing Assistant Grade 'A' Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Programmer, Programmer (Reprographic) and Data Processing Assistant in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Department of Personnel and Training), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Department of Personnel and Training), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Senior Programmer, Programmer (Reprographic) and Data Processing Assistant Grade 'A' Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—They shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule to the said rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, so it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	:	Senior Programmer
2.	Number of post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	:	General Central Services Group 'A', Gazetted Non-Ministerial.
4	Scale of pay	:	Rs. 10000-325-15200
5	Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Yes
7	Age limit for direct recruits	:	Not exceeding 40 years. **Note 1** : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

8	Educational and other qualifications required for direct recruits	: A(i) Master's Degree in Computer Application or Computer Science or M. Tech (with specialisation in Computer Application) or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering/ Computer Science/Computer Technology of recognised University or equivalent. : (ii) Five years's experience of electronic data processing out of which at least two years' experience should be in actual programming; Or : B(i) Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent. (ii) Seven years' experience of Electronics Data Processing work out of which at least three years' experience should be in actual programming; Or C(i) Masters' Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent. (ii) Eight years' experience of Electronics Data Processing work out of which at least four years' experience should be in actual Computer programming; Or D(i) 'A' Level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/ Post-Polytechnic Diploma in Computer Applications awarded by State Council of Technical Education or equivalent. (ii) Eight years' experience of Electronic Data Processing work out of which at least four year's experience should be in actual Programming. **Note 1 :** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Age:—No Educational qualifications :—Yes
10	Peirod of probation, if any	: One year for direct recruits and promotees.
11	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
12	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	: **Promotion/deputation (including short-term contract) :—** 1. Officers under the Central Government/State Governments/Universities/ Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/statutory or Autonomous organizations : A(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ depeartment; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/department; or

		(iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7450-11500 or equivalent in the parent cadre/department; and **(B)** possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. 2. The Departmental Programmer (Reporgraphic) with seven years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/ contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	: **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Chairman 2. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Member
14	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	: Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
1	Name of post	: Programmer (Reprographic)
2	Number of post	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	: General Central Services Group 'B', Gazetted Non-Ministerial
4	Scale of pay	: Rs. 7450-225-11500
5	Whether selection post or non-selection post	: Not applicable
6	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Yes
7	Age limit for direct recruits.	: Not exceeding 30 years. **Note 1** : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkam, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdeep)

8	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: **A. (i)** Master's Degree in Computer Application/Computer Science or M. Tech. (with specialisation in Computer Application) or BE/B. Tech. in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognized University or equivalent.
		: **(ii)** Two years' experience of Electronic Data processing work including experience of actual programming; or
		: **B. (i)** Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent.
		: **(ii)** Three years' experience of Electronics Data Processing out of which at least one years' experience should be in actual programming; or
		: **C. (i)** Masters' Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent.
		: **(ii)** Four years' experience of Electronics Data Processing out of which at least two years' experience should be in actual programming; or
		: **D. (i)** 'A' Level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/ Post-Polytechnic Diploma in Computer Applications awarded by State Council of Technical Education or equivalent.
		: (ii) Four years' experience of Electronic Data Processing work out of which at least two years' experience should be in actual Programming.
		Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified.
		: **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	: No
10	Period of probation, if any.	: Two years for direct recruits.
11	Method of recruitment/whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	: Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
12	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	: **Promotion/Deputation (including short-term contract) :—** I. Officers under the Central/State Governments/Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous Organizations :
		: **A. (i)** Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ depeartment; or
		: **(ii)** With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; or

		(iii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
	:	(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.
		2. The Departmental Data Processing Assistant Grade 'A' five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.
		(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/ contract including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Chairman 2. Deputy Director (Admn.) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Member 3. Deputy Director (Computers) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Member.
14 Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.
1 Name of post		3 Data Processing Assistant (Grade 'A')
2. Number of post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload
3 Classification	:	General Central Services Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4 Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000
5. Whether selection post or non-selection post	:	Selection-cum-seniority
6 Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7 Age limit for direct recruits.	:	Not exceeding 30 years. **Note 1** : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of aplications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkam, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: **Essential :** **A.** Master's Degree in Computer Application/Computer Science or M. Tech (with specialisation in Computer Application) or BE/B. Tech. in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognised University or equivalent; or : **B. (i)** Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent. : **(ii)** Two years' experience of Electronics Data Processing work including experience of actual programming; or : **C. (i)** Masters' Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent. : **(ii)** Three years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual programming; or : **D. (i)** 'A' Level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Dipolama in Computer Application offered under University Programme/ Post-Polytechnic Diploma in Computer Applications awarded by State Council of Technical Education or equivalent. : (ii) Three years' experience of Electronics Data Processing work including experience of actual programming. : **Note 1 :** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well-qualified. : **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe. If, at any stage of selection, the Staff Selection Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	: No
10.	Period of probation, if any.	: Two years for direct recruits and promotees.
11.	Method of recruitment/whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	: Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	: **Promotion :—** Data entry Operator Grade 'B' with six years' regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years' whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. : **Deputation :** : Officers under the Central Government : : **A. (i)** Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ depeartment; or

		(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or
	:	(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; and
	:	(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.
	:	[The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation or assessing suitability for upgradation) consisting of:—** 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration—Chairman 2. Deputy Director (Admn.) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Member 3. Deputy Director (Computers) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration —Member
14 Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 13012/1/99-Academy Desk]

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 2003

सा.का.नि. 221.—भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27 (क) की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 28क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 7 जुलाई, 1967 की सा.का.नि. 1094 के तहत अधिसूचना में प्रकाशित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, (सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 1967 का अतिक्रमण करते हुए, इस अतिक्रमण से पूर्व निष्पादित अथवा निष्पादित करने के लिये विलोपित की गई मदों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों को केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, सदस्यों का नामांकन नियमावली, 2003 के नाम से पुकारा जाये।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को ही प्रभावी हो जायेंगे।

2. **परिभाषाएं :**—इस नियमावली में, जब तक संदर्भ के अनुसार कुछ और आशय न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5);

(ख) "बोर्ड" का अर्थ है, अधिनियम की धारा 27 क के तहत गठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड;

(ग) "सदस्य" का अर्थ है, बोर्ड का सदस्य।

3. **पदेन सदस्य :**—बॉयलर विनियमों का कार्य देखने वाले मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव पदेन अध्यक्ष होगा और उस मंत्रालय में तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) पदेन सदस्य होगा।

4. **अन्य सदस्यों के नामांकन की विधि :**—अन्य सदस्यों, जिनकी संख्या 13 से अधिक नहीं होगी, का नामांकन अधिनियम की धारा 27 क की उपधारा (2) के खण्ड (क) के तहत निम्नलिखित विधि से किया जाएगा :—

(क) बॉयलर विनिर्माण अथवा प्रयोगकर्ता उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सदस्य;

(ख) केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन गृह मंत्रालय के परामर्श से किया जायेगा;

(ग) रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन रेलवे बोर्ड के परामर्श से किया जायेगा;

(घ) कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन कोयला और खान मंत्रालय, कोयला विभाग के परामर्श से किया जायेगा;

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन उक्त ब्यूरो के परामर्श से किया जायेगा;

(च) तीन सदस्य बॉयलर विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(छ) बॉयलर प्रयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग के परामर्श से किया जायेगा जो उच्च दाब बॉयलरों की स्थापना, परिचालन और रख-रखाव में दक्ष होगा;

(ज) इस्पात मंत्रालय के परामर्श से, इस्पात विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा;

(झ) एक सदस्य बॉयलर अनुषंगियों के विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ञ) ऐसे किसी भी अन्य विषय के प्रतिनिधित्व हेतु दो से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

5. **नामांकित सदस्यों का कार्यकाल :**—(1) जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिये जाते, नियम 4 के तहत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सामान्यत: केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों तक होगा।

(2) कोई भी नामांकित सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है।

[फा. सं. 6(11)/2002-बॉयलर]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 26th May, 2003

G.S.R. 221.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 28A read with clause (a) of sub-section 2 of Section 27A of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), and in supersession of the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 1967, published in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development and Company Affairs, Department of Industrial Development vide No. G.S.R. 1094 dated 7th July, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "Board" means the Central Boilers Board constituted under Section 27A of the Act;

(c) "Member" means a member of the Board.

3. **Ex-officio members.**—The Secretary to the Government of India in the Ministry dealing with the subject of boiler regulations shall be the ex-officio Chairman and the Technical Adviser (Boilers) in that Ministry shall be ex-officio Member

4. **Manner of nomination of other members.**—Other members not exceeding thirteen, shall be nominated under clause (a) of sub-section (2) of Section 27A of the Act in the following manner :—

(a) one member to represent the boiler manufacturing or user industry;

(b) one member to represent Union Territories to be nominated in consultation with the Ministry of Home Affairs.

(c) one member to represent the Railways to be nominated in consultation with the Railway Board;

(d) one member to represent the Coal industry to be nominated in consultation with the Ministry of Coal and Mines, Department of Coal;

(e) one member to represent the Bureau of Indian Standards to be nominated in consultation with that Bureau.

(f) three members to represent the boiler manufacturing industry;

(g) one member to represent the users of boilers who shall be an expert in the erection, operation and maintenance of high pressure boilers to be nominated in consultation with the Ministry of Energy, Department of Power;

(h) one member to represent the steel manufacturers to be nominated in consultation with the Ministry of Steel;

(i) one member to represent the industry for manufacture of boiler ancillaries;

(j) not more than two members to represent any other interest which, in the opinion of the Central Government ought to be represented on the Board.

5. **Term of office of nominated members.**—(1) Every member nominated under rule 4 shall ordinarily hold office for a periaod of three years from the date of publication of the notification for constitution of the Central Boilers Board in the Official Gazette unless otherwise directed by the Central Government.

(2) A nominated member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

[F. No. 6(11)/2002-Boilers]

A.E. AHMAD, Jt. Secy.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2003

सा.का.नि. 222.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार विभाग कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची 1 के स्तंभ 14 में "इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को संशोधित करते या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है"।

[सं. 05-17/99-एनसीजी/एसएनजी (पीटी)]

अमर जीत सिंह, अवर सचिव (एसएनजी)

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620(अ) तारीख 31 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 27th May, 2003

G.S.R. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Junior Telecom Officer Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Junior Telecom Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule-I to the Department of Telecommunications Junior Telecom Recruitment, Rules, 1999 in Column 14, for the words "Consultation with the Union Public Service Commission necessary while amending or relaxing any of the provisions of these rules", the following words shall be substituted, namely :—

"Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment".

[No. 5-17/99/NCG/SNG(Pt.)]

AMARJIT SINGH, Under Secy. (SNG)

Note.—The principal Rules were published in the Official Gazette vide notification number GSR 620(E) dated the 31st August, 1999.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 2003

सा.का.नि. 223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय, निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार), विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक (विस्तार) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन विस्तार निदेशालय में संयुक्त निदेशक (विस्तार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, विस्तार निदेशालय, (संयुक्त निदेशक विस्तार) पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	संयुक्त निदेशक (विस्तार)
2. पदों की संख्या	:	12* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	10,000-325-15200 रु.
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	:	चयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	हां
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	40 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1 :**—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणालय प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं : **अनिवार्य**—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि विस्तार/किसी कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि) के साथ ग्रामीण प्रबंधन में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) प्रशासन या कृषि प्रबंधन या विस्तार कार्यक्रम के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय काडर में या समतुल्य में आठ वर्ष का अनुभव या विस्तार कार्मिकों और कृषकों के प्रशिक्षण के प्रति विशेष निर्देश के साथ कृषि या विस्तार कार्यक्रम में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन का उतना ही अनुभव।

वांछनीय : विस्तार प्रबंधन कार्यक्रम के प्रतिपादन और संचालन से सुपरिचित होना चाहिए।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। : आयु : नहीं
अनिवार्य अर्हताएं : नहीं

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : (i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(iii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : **प्रोन्नति :** विस्तार अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक उपक्रम/अर्द्ध सरकारी स्वायत्त और राज्य सगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त संस्थाओं या परिषदों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अपर सचिव, भारसाधक, विस्तार—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, भारसाधक, विस्तार प्रभाग—सदस्य
3. संयुक्त सचिव, भारसाधक प्रशासन—सदस्य
4. अपर आयुक्त/निदेशक/उपसचिव, भारसाधक, विस्तार—सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. संयुक्त सचिव, भारसाधक, विस्तार—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, भारसाधक प्रशासन—सदस्य
3. संयुक्त आयुक्त/निदेशक/उपसचिव, भारसाधक, विस्तार—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 4-11/97-विस्तार]

रानी तलरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 14th May, 2003

G.S.R. 223.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Director (Extension), Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer and Technical Assistant (Agriculture) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Joint Director (Extension), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Extension) in the Directorate of Extension under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Directorate of Extension, Joint Director (Extension), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	: Joint Director (Extension)
2.	Number of post	: 12*(2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Service, Group-A Gazetted, Non-Ministerial
4.	Scale of pay	: Rs. 10000-325-15200/-
5.	Whether Selection or non-selection post	: Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Yes
7.	Age limit for direct recruits	: Not exceeding 40 years **Note 1 :—** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :—** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, or Lakshadweep).
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: **Essential** (i) Master of Science in Agriculture/Agriculture Extension/any of the Agricultural Sciences from a recognised University or equivalent or Master degree in Rural Management or Master of Business Administration with Bachelor of Science (Agriculture) from a recognised University or equivalent. (ii) Eight years experience in Supervisory cadre or equivalent in the field of Administration or Management of Agriculture or Extension programme or teaching experience at college or University level in agriculture or extension programme with special reference to training of extension personnel and farmers

		Desirable : Familiarity with the formulation and administration of Extension Management Projects. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9. Whether age and essential qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Age :—No Essential Qualifications :—No
10. Peirod of probation, if any	:	One year for direct recruits.
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	(i) Twenty-five per cent by promotion failing which by deputation (including Short Term Contract) failing both by direct recruitment. (ii) Twenty five per cent by deputation (inclduing Short-Term Contract) failing which by direct recruitment. (iii) Fifty per cent by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	:	**Promotion :** Extension Officer with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short term contract)** Officers under Central Government/State Government/Public Undertaking/Semi-Government Autonomous and State Organisations/Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Council :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis : or (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed under column (8). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion)** Consisting of— 1. Additional Secretary Incharge of Extension—Chairman 2. Joint Secretary Incharge of Extension Division—Member 3. Joint Secretary Incharge of Administration—Member 4. Additional Commissioner/Director/Deputy Secretary Incharge of Extension—Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** Consisting of— 1. Joint Secretary Incharge of Extension—Chairman 2. Joint Secretary Incharge of Administration—Member 3. Joint Commissioner/Director/Deputy Secretary Incharge of Extension—Member.
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).

[F. No. 4-11/97-Extn.]

RANI TALREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मई, 2003

सा.का.नि. 224.—गेंहूँ का आटा (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देने या आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, न्यू सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच. IV, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121 001 को भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गेहूँ का आटा श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) अनुसूची 1 में, श्रेणी अभिधान से संबंधित स्तंभ (1) के अधीन "श्रेणी I" और "श्रेणी II" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "विशेष" और "मानक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 18011/2/2002-एम. II]

पी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (विपणन)

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में 13 अप्रैल, 1994 को सा.का.नि. 255 दिनांक 12-4-1994 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 20th May, 2003

G.S.R. 224.— The following draft which the Central Government proposes to make to amend the Wheat Atta Grading and Marking Rules, 1993 in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules, may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, New C.G.O. Complex, N:H. IV, Fridabad, (Haryana)-121 001.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Wheat Atta Grading and Marking (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) In Schedule I, under column 1, relating to grade designation, for the words "grade I" and "grade II" the words "special" and "standard" shall respectively be substituted.

[F. No. 18011/2/2002-M. II]

P. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Marketing)

Foot note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) on 13th April, 1994 vide GSR 255, dated the 12-4-1994.

नई दिल्ली, 21 मई, 2003

सा.का.नि. 225.—अनाज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट है जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई व्यक्ति उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, न्यू जी.सी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच. 4, फरीदाबाद (हरियाणा)-121 001 को विचार करने के लिए भेजा जा सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनाज श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनाज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2001 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (ii) में, "और बाजरा (पेनिसिटम आईफोडियम रिच)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "बाजरा (पेनिसिटम आईफोडियम रिच) और धान (और्जिया सतीवा एल)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 5 के उपनियम (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"एगमार्क अधिकार चिह्न" अनुसूची 1 में दिए गए डिजाइन के सदृश प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक संयोगी डिजाइन, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान होगा"।

4. उक्त नियमों में, अनुसूची 1 और अनुसूची 1-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-1

(नियम 5 देखिए)

एगमार्क अधिकार चिह्न का डिजाइन

वस्तु का नाम .....

श्रेणी ....."

(5) उक्त नियमों की अनुसूची-7 में टिप्पण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् :—

(i) "परिभाषाएं" शब्द के स्थान पर "स्पष्टीकरण" शब्द रखा जाएगा;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "स्पष्टीकरण" के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(6) उक्त नियमों में, अनुसूची 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-VIII

(नियम 3 और 4 देखिए)

धान का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा				
	विशेष अपेक्षाएं				
	अधिकतम सहायता सीमा (भार प्रतिशत में)				
	नमी	विजातीय पदार्थ		अधिमिश्रण	क्षतिग्रस्त, अपरिपक्व और घुनग्रस्त दाने
		कार्बनिक	अकार्बनिक		
1	2	3	4	5	6
श्रेणी 1	12.0	0.10	कुछ नहीं	5.00	1.00
श्रेणी 2	12.0	0.25	0.10	10.00	2.00
श्रेणी 3	14.0	0.50	0.25	15.00	5.00
श्रेणी 4	14.0	0.75	0.25	30.00	10.00

साधारण अपेक्षाएं

7

धान में—

(क) ओरीजा सतीवा एल, के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद, समान आकार, आकृति और रंग के तथा अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विषर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन क्रमशः प्रति किलोग्राम क्रमशः 100 मि. ग्रा. और 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ङ) कृन्तक बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी अवशिष्ट (नियम 65), धात्विक संदूषण (नियम 57) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम 57) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों का पालन किया जाएगा।

टिप्पण :—विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

'(7) "अधिमिश्रण" से धान की निम्न कोटि की किस्म का विद्यमान होना अभिप्रेत है।'

[फा. सं. 18011/1/2003-एम II]

पी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

New Delhi, the 21st May, 2003

G.S.R. 225.—The following draft rules to amend the Cereals Grading and Marking Rules, 2001 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person desirious of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules, may forward the same within the period so specified to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, New CGO Complex, N.H. IV, Faridabad, (Haryana)—121001 for consideration.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Cereals Grading and Marking (amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Cereals Grading and Marking Rules, 2001, (herein referred to as the said rules), in the Sub-rule (ii) of rule 1, for the words "and brackets and Bajra (Pennisetum Typhoideum Rich)", the words and brackets "Bajra (Pennisetum Typhoideum Rich and Paddy (Oryza sativa L.) shall be substituted.

3. In the said rules, for Sub-rules (i) and (ii) of rule 5, the following shall be substituted, namely :—

"AGMARK INSIGNIA", consisting of the design incorporating the certificate of authorisation number, the word, "AGMARK", name of the commodity and grade designation resembling the one as set out in Schedule-I."

4. In the said rules, for SCHEDULES 1 and 1-A, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"**SCHEDULE-1**
(See rule—5)
DESIGN OF AGMARK INSIGNIA

Name of Commodity .....
Grade ....."

5. In the said rules, in Schedule-VII, after the note and the entries related thereto,

(i) For the word "Definitions" the word "Explanations" shall be substituted;

(ii) Under the marginal heading "Explanations" as so substituted, the following shall be added, namely :—

6. In the said rules, after Schedule VII, and the entries related thereto, the following SCHEDULE shall be added, namely :—

"**SCHEDULE-VIII**

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Paddy

Grade Designation	Definition of quality				
	Special requirements				
	Maximum limit of tolerance (per cent by weight)				
	Moisture	Foreign matter		Admixture	Damaged, Immature and weevilled grains
		Organic	Inorganic		
1	2	3	4	5	6
Grade-I	12.00	0.10	Nil	5.00	1.00
Grade-II	12.00	0.25	0.10	10.00	2.00
Grade-III	14.00	0.50	0.25	15.00	5.00
Grade-IV	14.00	0.75	0.25	30.00	10.00

General requirements
7

Paddy shall—

(a) be the dried mature grains of Oryza sativa L;

(b) be sweet, hard, clean, wholesome, uniform in size, shape and colour and in sound merchantable condition;

(c) be free from added colouring matter, moulds, weevils, obnoxious substances, discolouration, poisonous seeds and all other impurities except to the extent as indicated in the Schedule;

(d) uric acid and aflatoxin shall not exceed 100 miligram and 30 micrograms per kilogram respectively;

(e) be free from rodent hair and excreta;

(f) comply with the restrictions in regard to pesticides and insecticides residue (rule 65), Poisonous metals (rule 57), naturally occurring toxic substances (rule 57-B) and other provisions specified under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 as amended from time to time.

Note :—In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 per cent by weight.

'7. "Admixture", means presence of inferior varieties of paddy.'

[File No. 18011/1/2003-M-II]

P. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 3 dated 12-12-2001.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 2003

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बांध परियोजना (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उनका संबंध सर्किल अधीक्षक से है, और फरक्का बांध परियोजना (वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1969 को जहां तक उनका संबंध अधीक्षक (महाप्रबन्धक कार्यालय) के पद से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, फरक्का बांध परियोजना में समूह ख (प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी III और कार्यालय अधीक्षक) के पदों पर भर्ती का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फरक्का बांध परियोजना (प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी III और कार्यालय अधीक्षक) समूह ख पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

(1)	(2)
1. पद का नाम	: प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-III
2. पदों की संख्या	: 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय राजपत्रित
4. वेतनमान	: 6500-200-10500/- रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	: चयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता।

(1)		(2)
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	लागू नहीं होता।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	लागू नहीं होता।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	1. **प्रोन्नति** : ऐसा कार्यालय अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। 2. **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर संदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिन्हें प्रशासन और लेखा कार्य का अनुभव। **टिप्पण 1 :**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :**— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना :		समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. महाप्रबंधक, फरक्का बांध परियोजना — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर — सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फरक्का बांध परियोजना — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	जब प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक।
1. पद का नाम	:	कार्यालय अधीक्षक
2. पदों की संख्या	:	5* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित; अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	5500-175-9000/- रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	चयन

(1)		(2)
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। सर्किल अधीक्षक के पद (कार्यालय अधीक्षक के रूप में पुनर्पदाभिहित) के नियमित पदधारी जो 1600-2600 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में हैं का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके उपयुक्त पाए जाने की दशा में, वह उच्चतर श्रेणी (कार्यालय अधीक्षक के पद के रूप में पुनर्पदाभिहित) में प्रोन्नत समझा जाएगा। उपयुक्त न पाए जाने की दशा में उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा और उस अवधि तक वह निम्नतर श्रेणी में पद धारण करता रहेगा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	1. **प्रोन्नति** : फरक्का बांध परियोजना के ऐसे सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। 2. **प्रतिनियुक्ति**—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास प्रशासन और लेखा कार्य का अनुभव हो। **टिप्पण 1 :**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :**— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, उसकी संरचना	:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
		1. महाप्रबंधक, फरक्का बांध परियोजना — अध्यक्ष
		2. अधीक्षक इंजीनियर — सदस्य
		3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फरक्का बांध परियोजना — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	जब प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 6/15/2001-गं.बे.-फ.ब.परि.]

राधे श्याम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th May, 2003

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Farakka Barrage Project (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the post of the Circle Superintendent and Farakka Barrage Project (Class II posts) Recruitment Rules, 1969, in so far as they relate to the post of Superintendent (General Manager's office) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group B posts (Administrative Officer Grade III and Office Superintendent) in the Farakka Barrage Project, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Farakka Barrage Project, (Administrative Officer Grade III and Office Superintendent) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	1. Name of post	:	Administrative Officer (Grade-III)
	2. Number of post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
	3. Classification	:	General Central Services Group-B Ministerial, Gazetted
	4. Scale of pay	:	Rs. 6500-200-10500/-
	5. Whether Selection post or non-selection post	:	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	: Not applicable
8.	Educational and other qualifications requird for direct recruits	: Not applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
10.	Peirod of probation, if any	Not applicable
11.	Method of recruitment/whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Promotion, failing which by deputation
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: **Promotion :** Office Superintendent with three years regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation** Officers under the Central/State Governments— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with three years regular service in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) having experience of administration and accounts work. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years **Note 2 :** The officer in the feeder category who are in the direct line of promotion are not eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note : 3** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	**Group B Departmental Promotion Committee consisting of :—** 1. General Manager, Farakka Barrage Project—Chairman 2. Superintending Engineer—Member 3. Sr. Administrative Officer, Farakka Barrage Project—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.
2. 1. Name of post	:	Office Superintendent
2. Number of post	:	5 Nos.* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000
5. Whether Selection post or non-selection post	:	Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Two years
11. Method of recruitment/whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	Promotion failing which by deputation. The suitability of the regular holder of the post of Circle Superintendent (redesignated as Office Superintendent) in the pre-revised scale of pay of Rs. 1600-2660/- will be assessed and in case he is considered fit, he shall be deemed to have been promoted to the higher grade (redesignated post of Office Superintendent). In case he is not considered fit, his case will be reviewed every year and till such time he will continue to hold the post in the lower scale.
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation absorption to be made	:	**Promotion :** Assistant of Farakka Barrage Project with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/

		eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their junior who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central/State Governments— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with three years regular service in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) having experience of administration and accounts work. **NOTE** :—1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **NOTE** :—2 The officers in the feeder category who are in the direct line of promotion are not eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **NOTE** :—3 The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date prescribed for receipt of applications.
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	**Group B Departmental Promotion Committee consisting of :—** 1. General Manager, Farakka Barrage Project—Chairman 2. Superintending Engineer—Member 3. Sr. Administrative Officer—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Union Public Service Commission is to be consulted while appointing Officers on deputation.

[F. No. 6/15/2001-GB-FBP]

RADHEY SHYAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मई, 2003

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बांध परियोजना (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उनका संबंध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन फरक्का बांध परियोजना में समूह ग (ज्येष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक) के पद पर भर्ती का विनियम न करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फरक्का बांध परियोजना, समूह ग पद (ज्येष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

154561/2003-6

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस नियम के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	ज्येष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक
2. पदों की संख्या	:	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसचिवीय, अराजपत्रित
4. वेतनमान	:	3050-75-3950-80-4590/- रु.
5. चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	अचयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	लागू नहीं होता।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	लागू नहीं होता।
10. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	:	दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रोन्नति** : ऐसे कनिष्ठ गैस्टेटनर प्रचालक/दफ्तरी/जमादार जिन्होंने उन श्रेणियों में छः वर्षों की नियमित सेवा की है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना :		समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. अधीक्षण इंजीनियर — अध्यक्ष 2. कार्यकारी इंजीनियर — सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	लागू नहीं होता

[फा. सं 6/2/2001-गं.बे.-फ.ब.परि.]

राधे श्याम, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd May, 2003

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Farakka Barrage Project (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the post specified in column 1 of the schedule hereto annexed, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group C post of Senior Gestetner Operator in the Farakka Barrage Project, under the Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Farakka Barrage Project, (Group 'C' Post) Senior Gestetner Operator Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of the recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	: Senior Gestetner Operator
2.	Number of posts	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Services Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted
4.	Scale of pay	: Rs. 3050-75-3950-4590/-
5.	Whether Selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	: Non-Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible	: Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	. Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: Not applicable
9.	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10.	Period of probation, if any.	: Two years
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: By Promotion.
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: **Promotion :** Junior Gestetner Operator/Daftries/Jamadars with six years regular service in the grade.

13	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	: **Group 'C' Departmental Promotion Committee :—** 1. Superintending Engineer —Chairman 2. Executive Engineer —Member 3. Senior Administrative Officer—FBP—Member
14	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Not applicable.

[F. No. 6/2/2001-GB-FBP]
RADHEY SHYAM, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2003

सा.का.नि. 228.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 275 तारीख 12 फरवरी, 1982 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र विभाग में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय की अधिसूचना, वाणिज्य मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, चपरासी भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में चपरासी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, चपरासी भर्ती नियम, 2003 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: चपरासी
2.	पदों की संख्या	: 11* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' अराजपत्रित सचिवीय
4.	वेतनमान	: 2550-55-2660-60-3200 रुपये
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 18 से 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पणी :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8. सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	100% सीधी भर्ती द्वारा
12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	:	लागू नहीं होता
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, उसकी संरचना	:	लागू नहीं होता
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	लागू नहीं होता

[फा. सं. 12018/10/2002-डीसीएचएल/स्था i]

बी. पी. सिंह, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 2nd May, 2003

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Commerce, Peon Recruitment Rules, 1982, published in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Department of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, vide GSR. No. 275 dt. 12th February, 1982 Part II Section 1, Sub-Section 3(i) of the Gazette of India, except as respect things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Peon in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, namely —

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Peon Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of these rules with respect to any class or Category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	: Peon
2.	Number of posts	: 11 (Eleven) (2003)* *Subject to variation dependent on workload.
3	Classification	: General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Ministerial
4.	Scale of pay	: Rs. 2550-55-2660-60-3200
5.	Whether Selection post or non-selection post	. Not applicable
6.	Whether benefit of years of added service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	. Not applicable
7.	Age limit for direct recruits.	: Between 18 to 25 years (relaxable upto 35 years in the case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: Middle School Standard pass.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10	Peirod of probation, if any	: Two years
11	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by vairous methods	: 100% by direct recruitment
12	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption bo be made	: Not applicable
13	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	: Not applicable
14	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	. Not applicable

[F. No. 12018/10/2002-DCHL/Estt.-I]

B. P. SINGH, Addl. Development Commissioner for Handlooms

श्रम मंत्रालय

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

सा.का.नि. 229.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय महिला वृत्तिक व्यवसाय के सिवाय आशुलिपिक श्रेणी-1 समूह ''ख'' भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनका उनके वेतनमान वह होगा/वे होंगे जो इससे/इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे/उससे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	आशुलिपिक श्रेणी-1
2. पदों की संख्या	:	13* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	5500-175-9000/- रु.
5. चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	चयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	:	लागू नहीं होता।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	:	लागू नहीं होता।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रोन्नति** : ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-II जिसमें उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :—जहां** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 2. **प्रतिनियुक्ति**—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की है; और (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास आशुलिपिक हिन्दी/अंग्रेजी में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख की 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	**प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :** 1. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य 3. शिक्षुताशिक्षण निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव, श्रम मंत्रालय —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. डी जी ई टी-ए-12018/4/2000-टी.ए. II]

एन. लंका, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING

New Delhi, the 30th May, 2003

G.S.R. 229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I, in the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training.

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called, the Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training (except Women Occupational Training), Stenographers Grade I (Group B) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	:	Stenographer Grade I
2. Number of post	:	13* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service Group 'B' non-Gazetted, ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000/-
5. Whether Selection or non-selection post	:	Non-Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7. Age limit for direct recruits.	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications requird for direct recruits.	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	:	Not applicable

10. Period of probation, if any.	:	Two years
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	:	Promotion failing which by deputation.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	:	**Promotion :** Stenographer Grade II with three years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation** Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (Hindi/English) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing day of receipt of application.
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	:	**Departmental Promotion Committee for Promotion** 1. Director General/Joint Secretary, Directorate of Employment and Training — Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Directorate General of Employment and Training — Member 3. Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Employment and Training — Member 4. Director/Deputy Secretary, Ministry of Labour — Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. DGET-A-12018/4/2000-TA-II]

N. LANKA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.